केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 200/टीएल/2024 दिनांक: 7.8.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

कल्लम् ट्रांस्को लिमिटेड, विंडसर, प्रथम तल, यूनिट नं.101, कलीना सैंटाक्रूज, ईस्ट मुंबई–400098, महाराष्ट्र द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "महाराष्ट्र के कल्लम् क्षेत्र में पश्चिमी प्रदेश नेटवर्क विस्तार" के लिए पारेषण प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	कल्लम् पीएस पर परली (एम)–कर्जत(एम)/लोनिकंड–II (एम) 400 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूज़) के दोनों सर्किटों का लीलो	18 मास
2.	कल्लम् पीएस पर परली (एम)–कर्जत(एम)/लोनिकंड–II (एम) 400 केवी डी/सी लाइन (ट्विन मूज़) के दोनों सर्किटों के लीलो के लिए कल्लम् पीएस पर 4 नंबर 400 केवी लाइन बे • 400 केवी लाइन बे (एआईएस)–4 नंबर (कल्लम् पीएस छोर के लिए)	
3.	कर्जत – कल्लम् 400 केवी डी/सी लाइन (140किमी) के कल्लम् पीएस छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 63 एमवीएआर, 420 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर (एनजीआर बाइपासिंग व्यवस्था के साथ) • स्विचिंग इक्विपमेंट सहित 63 एमवीएआर, 420 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नंबर (कल्लम् छोर पर)	

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 23.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 200/टीएल/2024 में दिनांक 7.8.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. कल्लम् ट्रांस्को लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट https://www.indigrid.co.in/documents-manager/ पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 16.8.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 20.8.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव